भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4252
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

बिहार में महिला और बाल विकास हेतु निधि

4252. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर बिहार के जिला गोपालगंज के पिछड़े क्षेत्रों में, महिला और बाल विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं और लड़कियों के विकास के लिए बिहार राज्य को आबंटित कुल निधि कितनी है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ विशेषकर बिहार के जिला गोपालगंज में खर्च की गई राशि और अव्यय राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार में विशेषकर गोपालगंज जिले में महिला और बाल विकास के लिए काम करने वाली केन्द्रीय एजेंसियों के नाम क्या हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी   महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं, 11-14 वर्ष के आयु वर्ग की स्कूल बाह्य किशोरियों तथा 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के समग्र विकास, संरक्षण और कल्याण के लिए बिहार के गोपालगंज जिला सहित पूरे देश में अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवा तथा महिला संरक्षण एवं सशक्तीकरण मिशन नामक दो केंद्रीय प्रायोजित अम्ब्रेला स्कीमें चला रहा है । मंत्रालय की स्कीमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं तथा फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन में कोई केंद्रीय एजेंसी सीधे शामिल नहीं है । मंत्रालय कार्यान्वयन के दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय शेयर की निधियां जारी करता है । बिहार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है । बिहार राज्य को जारी की गई निधियों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं में सूचित उपयोग का ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है ।

अनुलग्नक-I

'बिहार में महिला और बाल विकास हेतु निधि' विषय पर डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4252 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में दो केंद्रीय प्रायोजित अम्ब्रेला स्कीम - अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और महिला संरक्षण एवं सशक्तीकरण मिशन चला रहा है । प्रमुख स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. अम्ब्रेला आईसीडीएस :

i. आंगनवाड़ी सेवा स्कीम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं विकास के लिए एक अनोखा कार्यक्रम है । यह 6 सेवाओं अर्थात पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान करता है । स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा शिशुवती माताएं हैं ।

ii. पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) का उद्देश्य छोटे बच्चों में अल्प पोषण, कुपोषण, एनिमिया की दर कम करके ठिगनेपन, अल्पपोषण, एनिमिया तथा जन्म के समय कमवज़न वाले बच्चों का दर कम करना और किशोरी, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं पर बल देना है ।

iii. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) विशिष्ट शर्तों की व्यक्तिगत रूप में पूर्ति के अधीन गर्भावस्था एवं स्तनपान कराने की अवधि के दौरान डीबीटी मोड में गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को सीधे उनके बैंक/डाकघर खाते में तीन किस्तों में 5,000/-रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है । लाभार्थी महिलाएं जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी नकदी प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं ताकि औसतन महिला 6,000/-रुपये प्राप्त कर सकें ।

iv. किशोरियों के लिए स्कीम का उद्देश्य 11-14 आयु वर्ग की स्कूल बाह्य किशोरियों को पोषण, जीवन कौशल तथा गृह कौशल के माध्यम से सशक्त बनाना तथा उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है । स्कीम में पोषण और गैर-पोषण नामक दो घटक हैं, जिसमें पोषण; आयरन एवं फॉलिक एसिड संपूरण; स्वास्थ्य जांच एवं रैफरल सेवा; पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा; औपचारिक शिक्षा प्रणाली/सेतु पाठ्यकम/कौशल प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए स्कूल बाह्य लड़कियों को प्रोत्साहित करना; जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन आदि; सरकारी सेवाएं प्राप्त करने पर परामर्श/मार्गदर्शन शामिल हैं ।

v. राष्ट्रीय शिशु गृह योजना कामकाजी माताओं के 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दिवस देखरेख की सुविधा प्रदान करती है । माह में 26 दिन के लिए साढ़े सात घंटे के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।

बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सोने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।

vi. बाल संरक्षण सेवा स्कीम का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों के सुधार एवं कल्याण तथा ऐसी स्थिति एवं कार्रवाई के प्रति असुरक्षा में कटौती करने में योगदान करना है जिनसे बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और माता-पिता से अलगाव का मार्ग प्रशस्त होता है । स्कीम का उद्देश्य बाल यौन दुरुपयोग सहित किसी प्रकार के बाल दुरुपयोग से सभी बच्चों को बचाने के उपायों एवं तरीकों के संबंध में जागरुकता फैलाना है ।

2. महिला संरक्षण एवं सशक्तीकरण मिशन

vii. महिला शक्ति केंद्र स्कीम छात्र वॉलेंटियर की भागीदारी द्वारा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है । स्कीम में विभिन्न स्तरों पर तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर काम करने की परिकल्पना है तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर संबंधित सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ।

viii. स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जिनको पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की आवश्यकता होती है ताकि वे अपना जीवन गरिमा के साथ जी सकें ।

ix. उज्ज्वला एक व्यापक स्कीम है जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार को रोकना, पीड़ितों के बचाव तथा उनको सुरक्षित अभिरक्षा में रखने में सहायता प्रदान करना, बुनियादी सुविधाएं/आवश्यकताएं प्रदान करके पुनर्वास की सेवाएं प्रदान करना, समाज और परिवार में पीड़ितों के पुन:एकीकरण में सहायता प्रदान करना, सीमा-पारीय पीड़ितों के प्रत्यर्पण में सहायता प्रदान करना है ।

x. कामकाजी महिला हॉस्टल का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं सस्ता आवास प्रदान करना है । इन हॉस्टलों में अंत:वासियों के बच्चों के लिए दिवस देखरेख की सुविधा भी होती है । मंत्रालय एनजीओ या राज्य सरकारों द्वारा ऐसे हॉस्टलों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देता है ।

xi. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तीन मंत्रालयों अर्थात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है जिसमें सोच में परिवर्तन के लिए जागरुकता एवं हिमायत अभियान, चयनित जिलों में बहुक्षेत्रक कार्रवाई, बेटियों की शिक्षा को संभव बनाने तथा गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल दिया जाता है । स्कीम का विशिष्ट उद्देश्य लिंग के चयन पर आधारित गर्भपात पर लगाम लगाकर घटते बाल लिंग अनुपात की समस्या को दूर करना; बेटियों की उत्तरजीविता एवं संरक्षण सुनिश्चित करना तथा बेटियों की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है ।

xii. वन स्टॉप सैंटर (ओएससी) पुलिस, चिकित्सा, विधिक, मनोवैज्ञानिक सहायता तथा अस्थायी आश्रय सहित हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सेवाओं की एकीकृत रेंज प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है । यह स्कीम निर्भया निधि के माध्यम से वित्त पोषित है ।

xiii. महिला हैल्पलाइन स्कीम एकल यूनिफार्म नम्बर (181) के माध्यम से देश में महिलाओं से संबंधित सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों के बारे में सूचना तथा रैफरल के माध्यम से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सेवा प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2015 से चलाई जा रही है ।

xiv. महिला पुलिस वॉलेंटियर स्कीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है । इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वॉलेंटियर तैनात करने की परिकल्पना है, जो पुलिस एवं समुदाय के बीच कड़ी के रूप में काम करेंगी और विपदाग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करेंगी ।

*****

अनुलग्नक-।।

'बिहार में महिला और बाल विकास हेतु निधि' विषय पर डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4252 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत बिहार राज्य को वर्ष-वार निर्मुक्तियां एवं उपयोग

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त
1	आंगनवाड़ी सेवाएं	98099.36	76018.9	92217.01	84184.19	115848.70	74301.20	112822.17
2	पोषण अभियान	एनए	एनए	7063.44 **	0	15001.67	5380.00	10000.00
3	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना *	एनए	एनए	17351.38	575.70	1253.00	6228.22	0
3	किशोरियों के लिए स्कीम	2696.83	2315.55	4003.74	2742.76	25.54	686.12	463.92
4	राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम	51.94 (1.1.2017 से)	0.00	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बाल संरक्षण स्कीम	2787.92	1923.33	541.56	1609.84	2621.87	1619.23	1297.02
6	महिला शक्ति केंद्र	-	-	1022.2	एनए	25.83	एनए	48.62
7	स्वाधार गृह	69.79	0	86.54	0	0	0	0
8	उज्ज्वला	23.38	-	28.99	-	-	-	-
9	बीबीबीपी	***	17.99	20.71	10.02	395.51	7.20	10.70
10	महिला हैल्पलाइन	0	0	38.07	38.07	54.94	32.59	46.50
11	वन स्टॉप सैंटर	198.90	0	0	0	308.32	0	667.48

टिप्पणी: (1) पिछले वर्ष में राज्य द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय/अप्रयुक्त शेष के समायोजन के पश्चात अनुमोदित आबंटन में से निधियां जारी की जाती हैं ।

(2) प्रयुक्त निधियां पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष की उपलब्धता के कारण निर्मुक्त निधियों/अनुमोदित आबंटन से अधिक हैं

* (*प्रयुक्त राशि में केंद्रीय और राज्य दोनों शेयर शामिल हैं*)

**(आईएसएसएनआईपी का अप्रयुक्त शेष शामिल है)

***(पिछले वर्ष की बचत के कारण 2016-17 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी नहीं की गईं)